भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1003

18.09.2020 को उत्तर के लिए

लुप्तप्राय पक्षी

1003. श्री सुधीर गुप्ता:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री बिद्युत बरन महतो:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या लुप्तप्राय पक्षियों की आबादी उनकी रक्षा के लिए बनाई गई कई सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों के बावजूद लगातार कम हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जंगलों में पारेषण लाइनें पक्षियों की घटती जनसंख्या के कारणों में से एक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने लुप्तप्राय पक्षियों जैसे कि गिद्धों, फ्लैमिंगों और वेडरों की पलायन पद्धति की जांच के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं; और

(च) जंगलों/राष्ट्रीय उद्यानों/वन्यजीव अभयारण्यों में लुप्तप्राय पक्षियों के संरक्षण और बिजली पारेषण लाइनों को हटाने से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) : ऐसी कोई विशिष्ट रिपोर्ट नहीं है जो यह दर्शाती है कि लुप्तप्राय पक्षियों की आबादी लगातार कम हो रही है।

(ग) : पक्षियों की मौतों के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं जिनमें पक्षियों की कुछ प्रजातियों का पारेषण लाइनों से टकराना शामिल है।

(घ) और (ड.) : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल के दिनों में गिद्धों, फ्लैमिंगों और वेडरों की पलायन पद्धतियों की जांच के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया है। तथापि, प्रवासी प्रजातियों और उनके पर्यावासों के संरक्षण के उद्देश्य से "मध्य एशियाई फ्लाई-वे (सीएएफ) के साथ प्रवासी पक्षियों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्य-योजना (2018-2023)" वर्ष 2018 में आरंभ की गई थी जिसमें अनुसंधान घटक भी शामिल हैं।

(च) : सरकार द्वारा वनों/राष्ट्रीय उद्यानों/वन्यजीव अभयारण्यों में लुप्तप्राय पक्षियों के संरक्षण और बिजली पारेषण लाइनों को हटाने से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

i. लुप्तप्राय पक्षियों सहित वन्यजीवों के संरक्षण को और अधिक मजबूत बनाने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आस-पास पारि-संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसजेड) की अधिसूचना।

ii. संरक्षित क्षेत्रों या वन्यजीव पर्यावासों के बीच से गुजरने वाली विद्युत पारेषण लाइनों की स्थापना के लिए परियोजना प्रस्तावों की पहले राज्य वन्यजीव बोर्ड और बाद में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति में जांच की जाती है।

iii. लुप्तप्राय पक्षियों सहित वन्यजीवों पर विद्युत पारेषण लाइनों और अन्य विद्युत अवसंरचनाओं के प्रभावों को कम करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल उपाय सुझाने हेतु मंत्रालय द्वारा बनाए गए कार्यबल की सिफारिशों को, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड संबंधी स्थायी समिति द्वारा दिनांक 18 जुलाई, 2019 को आयोजित अपनी 54वीं बैठक के दौरान स्वीकार कर लिया गया था और इसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को पारिचालित किया गया था।

iv. मंत्रालय द्वारा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा विद्युत मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि बिजली आपूर्ति एजेंसियों को निदेश दें कि वे पक्षियों की सुरक्षा हेतु बिजली की तारों पर बर्ड-डाइवर्टरों की संस्थापना करने, 33 केवी तक की बिजली की तारों को भूमिगत करने, पवन-टर्बाइनों के फलकों को पेंट करने जैसे उपशमन उपायों को लागू करें।

v. मंत्रालय द्वारा पक्षियों पर विद्युत पारेषण लाइनों सहित रेखीय अवसंरचना के प्रभावों, जैसे - बिजली की लाइनों से टकराने और बिजली के करंट लगने से मारे जाने की घटनाओं में कमी लाने हेतु "वन्यजीवों पर रेखीय अवसंरचना के प्रभावों के उपशमन हेतु पारि-अनुकूल उपाय" शीर्षक से दिशा-निर्देश जारी किए गए थे जिनमें प्रमुख पक्षी क्षेत्रों से बिजली की लाइनों को हटाकर उन्हें दूसरे मार्ग से ले जाना, विद्युत लाइनों में संशोधन, विद्युत लाइनों की दृश्यता में वृद्धि करने हेतु बर्ड-डाइवर्टरों की संस्थापना आदि शामिल हैं।

vi. 'मध्य एशियाई फ्लाइ-वे (सीएएफ) के साथ प्रवासी पक्षियों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्य-योजना' जिसे मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था, के द्वारा बिजली के तारों के कारण पक्षियों को होने वाले खतरों के मुद्दों का समाधान किया जाता है।

vii. पक्षियों की दुलर्भ प्रजातियों सहित वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके पर्यावासों में सुधार करने के लिए वन्यजीव पर्यावासों के विकास की केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं, बाघ परियोजना और हाथी परियोजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

****